न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम, कक्ष संख्या–29, लखनऊ।
पीठासीन अधिकारीः अनुपम दुबे– 'उ0प्र0 न्यायिक सेवा'

UPLK040776172026

Criminal Misc. Cases/2420/2026

श्रीमती नेहा सिंह पत्नी स्व० रंजीत सिंह निवासी ग्राम शाहपुर पोस्ट रामपुर गढ़ी, जिला उन्नाव। हाल पता न्यू फरीदीपुर, सरकारी स्कूल के पारा, भूहर, थाना -ठाकुरगंज, लखनऊ

.....प्रार्थी

बनाम

1. अर्चना सिंह पत्नी अजय सिंह उर्फ़ नरेंद्र सिंह पुत्री गंगा बक्श सिंह

2. सुमन सिंह पत्नी गंगा बक्श सिंह

निवासीगण - ग्राम - रामगढ़, टिकरिया, जिला रायबरेली, हाल पता -न्यू फरीदीपुर, सरकारी, सरकारी स्कूल के पीछे, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ

3. जफर मुजतबा पुत्र स्व० मो० मुजतबर, निवासी - विकास नगर, लखनऊ।

.....विपक्षीगण

धारा : 173(4) दं०प्र०सं०

थाना : ठाकुरगंज

जनपद : लखनऊ।

18.07.2026

१. पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(4) के प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर सुना, जिसका निम्नवत निस्तारण किया जाता हैः-

२. आवेदक **श्रीमती नेहा सिंह** की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(4) के प्रावधान के अन्तर्गत विपक्षी **1. अर्चना सिंह 2. सुमन सिंह 3. जफर मुजतबा,** के विरुद्ध संबंधित थाना ठाकुरगंज में प्राथमिकी पंजीकृत कर मामले में विवेचनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर याचना की गई है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

३. उपरोक्त प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में संबंधित थाना ठाकुरगंज से आख्या मंगाई गई। संबंधित थाना से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदक **श्रीमती नेहा सिंह** उपरोक्त द्वारा देय प्रार्थनापत्र के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नही हैं।

४. प्रार्थनापत्र पर सुना, संबंधित थाना ठाकुरगंज से प्राप्त आख्या तथा प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया।

५. प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और थाने से प्राप्त आख्या के अवलोकन से विदित होता है कि मामले में संबंधित थाना से विवेचना कराये जाने से किसी नवीन तथ्य के उद्घाटित होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **सुखवासी**

बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2007(59) ए0सी0सी0 50 739 (इलाहाबाद खंडपीठ) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मजिस्ट्रेट प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय,, इलाहाबाद की पूर्णपीठ द्वारा **रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य 2008(43) ए0सी0सी0 50 (इलाहाबाद खंडपीठ)** में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। विधि व्यवस्था **सुरेश जैन बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2002(44) एस.सी.सी. 670** में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालयों की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में तथा कथित विवाद की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रकरण को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना उचित तथा न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदक **श्रीमती नेहा सिंह** द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी धारा 223 BNSS दिनांक **18.08.2026** को प्रस्तुत हो।

दिनांक–18.07.2026

(अनुपम दुबे)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम,
कक्ष संख्या 29, लखनऊ।
J.O. Code- 2275

स्टेनो–राहुल द्विवेदी

Digitally signed by ANUPAM DUBE
Date: 2026.07.18 16:17:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court